न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः हनुमान सिंह राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 178/2021

उनवान

1. श्रीमती राधा पत्नी गटु, जाति भोई, निवासी आजना, तहसील गढ़ी, हाल तहसील अरथुना, जिला बांसवाड़ा।
2. श्रीमती चन्दा पुत्री गटु, पत्नी पुनमचन्द, जाति भोई, निवासी आजना, तहसील गढ़ी, हाल तहसील अरथुना, जिला बांसवाड़ा, हाल निवास सीमलवाडा, तहसील सीमलवाडा, जिला डूंगरपुर।

—: अपीलाण्ट्

बनाम

1. ग्राम पंचायत आजना जरिये सरपंच, तहसील गढ़ी, हाल तहसील अरथुना, जिला बांसवाड़ा।
2. देवीलाल पुत्र शंकर, जाति भोई, निवासी आजना, तहसील गढ़ी, हाल तहसील अरथुना, जिला बांसवाड़ा।
3. पप्पु पुत्र शंकर, जाति भोई, निवासी आजना, तहसील गढ़ी, हाल तहसील अरथुना, जिला बांसवाड़ा।
4. श्रीमती हुरज पत्नी शंकर, जाति भोई, निवासी आजना, तहसील गढ़ी, हाल तहसील अरथुना, जिला बांसवाड़ा।
5. उमेश पुत्र बाबुलाल, जाति भोई, निवासी आजना, तहसील गढ़ी, हाल तहसील अरथुना, जिला बांसवाड़ा।
6. तहसीलदार, तहसील गढ़ी, हाल तहसील अरथुना, जिला बांसवाड़ा।

—: रेस्पोंडेण्ट्

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांकः 15.11.2021

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट संख्या–01 व 02 के दादा व ससुर सुखा पिता गुलाब, जाति भोई, निवासी आजना, पटवार हल्का आजना, भू–अभिलेख हल्का क्षेत्र अरथुना, हाल तहसील अरथुना, जिला बांसवाड़ा के खाते व कब्जे की कृषि भूमि जिसका खाता संख्या 532 के निम्नलिखित सर्वे नम्बर 4951 रकबा 0.32, 5089 रकबा 0.08, 5090 रकबा 0.8, 5051 रकबा 0.01, 5092 रकबा 0.14, कुल खेत 05, कुल रकबा 0.63 स्थित है एवं मूल खातेदार स्व. सुखा की मृत्यु लगभग 20 वर्ष पूर्व हो चुकी है एवं सुखा की मृत्यु के बाद रेस्पोडेंट संख्या–1 ने विधि विरुद्ध उक्त खाते की कृषि भूमि में सुखा के सभी वारिसानों के नाम मुटेशन नही खोलकर केवल स्व. सुखा के पुत्र शंकर जो कि रेस्पोडेंट संख्या–2 से 4 के पिता व पति है एवं रेस्पोडेंट संख्या–5 जो कि स्व. सुका के पुत्र बापुलाल का पुत्र है उसके नाम ही मुटेशन खोला गया एवं अपीलांट सं. 01 से 02 मूल खातेदार स्व. सुखा के पुत्र स्व. गटु के वारिस व उत्तराधिकारी है, परन्तु उन्हे बिना सुने ही रेस्पोडेंट् संख्या–2 लगायत 5 के पक्ष में विधि विरुद्ध मुटेशन खोला है, उससे असंतुष्ट होकर यह अपील न्यायालय में पेश हुई।

यह कि, अन्य आधारों के अलावा निम्न आधारों पर यह अपील न्यायालय में पेशकर सादर निवेदन किया गयाः–

1. यह कि, उक्त बताये खाते की कृषि भूमि जिसका खाता संख्या 532 के निम्नलिखित सर्वे नम्बर 4951 रकबा 0.32, 5089 रकबा 0.08, 5090 रकबा 0.8, 5051 रकबा 0.01, 5092 रकबा 0.14, कुल खेत 05, कुल रकबा 0.63 की भूमि के मूल खातेदार स्व. सुका पिता गुलाब, जाति भोई, निवासी आजना के नाम दर्ज रेकॉर्ड थी एवं दिनांक 20.10.2003 को रेस्पोडेंट संख्या–1 द्वारा विधि विरुद्ध स्व. सुखा के अन्य वारिसान जो कि अपीलांटगण है, उन्हे सुना नही गया है एवं उन्हें बिना सुने ही बिना कोई जांच किये विधि विरुद्ध सुखा के दो पुत्र स्व. शंकर व स्व. बाबुलाल के पुत्र उमेश के नाम ही मुटेशन खोला है। जबकि उक्त कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है एवं नियमानुसार रेस्पोडेंट संख्या–1 को मृतक खातेदार सुखा के नाम मुटेशन खोल खाता दर्ज रेकॉर्ड कराना था, परन्तु रेस्पोडेंट संख्या–1 ने विधि विरुद्ध सुखा के दो पुत्र स्व. शंकरलाल व स्व. बापुलाल के पुत्र उमेश के नाम ही नामांतरण ... जो विधि विरुद्ध होकर काबिल निरस्ती है, क्योंकि स्व. सुखा के चार पुत्र क्रमशः शंकरलाल, बाबुलाल, गटु ... मुटेशन खोलते समय शंकरलाल जीवित था उसके नाम खाता खोला गया एवं बाबुलाल की मृत्यु ... उमेश के नाम खाता खोला गया है एवं उस वक्त सुखा के पुत्र गटु की मृत्यु हो चुकी थी एवं गटु के दो ... वारिस उसकी पुत्री ... पत्नी श्रीमती राधा थी जो कि अपीलांट सं. 01 व 02 है उन्हें ... न ही उन्हे उक्त मुटेशन की ... कोई सूचना दी गई एवं बिना सुने व बिना सूचना दिये उक्त मुटेशन खोला ... है, जो विधि विरुद्ध है एवं स्व. सुखा का पुत्र सुरेश मुटेशन खोलने के वक्त ला औलाद फौत हो गया था। इस प्रकार कानूनन मृतक सुखा के वारिसान शंकर, उमेश के अलावा नियमानुसार मृतक गटु के वारिसान अपीलांट्स के नाम भी मुटेशन खोलना था। इस प्रकार रेस्पोडेंट संख्या–1 द्वारा विधि विरुद्ध उक्त मुटेशन खोला गया है, जो कानूनन काबिल निरस्ती है इस हेतु यह अपील पेश हुई।

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Singh Rathore
Date: 2022.04.22 12:16:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

अपीलाण्ट् की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पेडेण्ट् के नाम सम्मन जारी किये जाने पर रेस्पोडेण्ट् संख्या 05 की तरफ से श्री बी.बी.सिंह सौदा, अभिभाषक का वकालातनामा पेश होकर रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 05 स्वंय उपस्थित होकर प्रकरण में अपीलान्ट का नाम जोड़े जानें की सहमती के रूप में अपने सुक्ष्म हस्ताक्षर किये गये। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के न्यायालय में उपस्थित नही होने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही का आदेश पारित किया जाकर प्रकरण में अपीलान्ट एंव रेस्पोडेन्ट की आपसी सहमती होने के कारण ग्राम पंचायत आंजना द्वारा दिनांक 20.10.2003 को नामान्तरकरण संख्या 670 निर्णित करवाया गया जो अनुचित पाया गया।

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत आंजना द्वारा निर्णित उक्त नामान्तरकरण कमांकः 670 दिनांक 20.10.2003 का निर्णय खारिज किया जाता है एंव तहसीलदार अरथूना को मूल ही प्रकरण प्रेषित कर निर्देशित किया जाता हैं कि पुनः नये सीरे से विधिवत् सुनवाई कर उक्त नामान्तरकरण में नवीन निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 15/11/2021 को सुनाया गया।

हनुमान सिंह राठौड़
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Hanuman Singh Rathore
Date: 2022.04.22 12:16:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner